(ख) उपर्युक्त स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं तथा अन्य मदों पर सरकार द्वारा किया गया कुल खर्च का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	1969-70	1970-71
	रु०	रु०
ग्वालियर	7,093	—
मुरैना	295	391
भिण्ड	—	—
गुना	1,000	10,000

घाटे पर चलने वाली रेलवे लाइनें

4632 **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय रेलवे की कुल कितनी तथा कौन-कौन सी रेलवे लाइनें (मीटर गेज तथा शाखा लाइनें) घाटे पर चल रही है ;

(ख) वित्तीय वर्ष 1969-70 तथा 1970-71 के दौरान इन रेलवे लाइनों से सरकार को कुल कितनी हानि हुई है ;

(ग) वित्तीय वर्ष 1971-72 के दौरान कितनी हानि होने की सम्भावना है ; और

(घ) भविष्य में इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्री (श्री हनुमंतैया) : (क) हमारी वर्तमान संगणना के अनुसार घाटे में चलने वाली लाइनों की संख्या 75 है। एक सूची सभा पटल पर रखी जाती है जिसमें इन लाइनों के नाम दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या** LT-651/71]

(ख) 1969-70 में 7 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। 1970-71 के लेखे अभी अन्तिम रूप से बन्द नहीं हुए हैं। अनुमान हैं कि घाटा सामान्यत: पिछले वर्ष से कुछ अधिक होगा।

(ग) लगभग 8 करोड़ रुपये।

(घ) इन लाइनों के संचालन में होने वाले घाटे को कम करने के लिए समय-समय पर विभिन्न उपाय किये जाते हैं। इनमें कर्मचारियों और गाड़ियों की सख्या पर कड़ा नियंत्रण, सस्ते काम चलाऊ मालगोदामों और पहुंच मार्गों की व्यवस्था, आर्थिक यातायात आकृष्ट करने के लिए मुख्य लाइन की गाड़ियों आदि से अपेक्षाकृत मेल की बेहतर व्यवस्था, बिना टिकट यात्रा और अन्य राजस्व की चोरी की रोकथाम शामिल है। ऐसे उपाय भविष्य में भी किये जाते रहेंगे।

Industries in Backward Areas

4633. SHRI N. E. HORO : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) the guidelines Government have laid down for setting up industries in the backward areas of the country ; and

(b) whether the said guidelines have been given to the Licensing Committee for its use in future ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT (SHRI SIDDHESHWAR PRASAD) : (a) and (b) The guidelines by way of special facilities for industrial development of industrially backward districts and areas in the country are as follows :

(i) Preference would be given in the matter of grant of letters of intent/ industrial licences to applications for locations in these areas. This aspect has been included in the guidelines to the Licensing Committee.

(ii) concessional terms would be granted by financial and credit institutions for financing industries in these districts areas and

(iii) an outright grant of subsidy would be given by the Centre, amounting to onetenth of the fixed capital investment of new units having a fixed investment of not more than Rs. 50 lakhs each in two selected districts each of the States identified as industrially backward, viz., Andhra Pradesh., Assam, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh, Nagaland, Orissa, Rajasthan and U. P., and one district in each of the other States and Union Territories. Schemes and projects for new units involving fixed capital investment of more than Rs. 50 lakhs may be considered on merit and

(iv) special surveys are being undertaken regarding industrial possibilities in many of these areas.

(v) the incentives already being offered by States and Union Territories for promotion of industries in backward areas would be extended to all the districts selected to qualify for concessional finance from the financial institutions;

(vi) the States and Union Territories should concentrate their efforts on developing fully not only the basic infra-structure facillities like power, transport, etc., but also other facilities in the districts selected to qualify for concessional finance, e.g., railway sidings, housing colonies for industrial labour, developed industrial sites, dispensary or hospital, etc. and

(vii) special machinery should be organised by States and Union Territories to provide promptly technical and other information that may be required by entrepreneurs and also to the financial institutions in processing of the applications for credit facilities.

Besides the above, transport subsidy in respect of the more distant areas is also under consideration.

न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों को शीघ्र निपटाने सम्बन्धी योजना

4634. **श्री विभूति मिश्र :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों तथा सर्वोच्च न्यायालय में फौजदारी तथा दीवानी के मामलों के निर्णय में बहुत अधिक समय लगता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा बनाई जा रही योजना की रूपरेखा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी) : (क) यह सच है कि कुछ किस्म के दीवानी और फौजदारी मामलों के निर्णय में बहुत अधिक समय लग जाता है क्योंकि यह बात उनकी जटिलता और न्यायालय में काम की स्थिति पर निर्भर करती है। उनको निपटाने में विलम्ब के लिए कभी कभी तो स्वयं पक्षकार जिम्मेदार होते हैं।

(ख) प्रत्येक उच्च न्यायालय के तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या पर समय समय पर इस बात को ध्यान में रख कर पुनः विचार किया जाता है और उसे पुनः नियत किया जाता है कि संस्थित किये जाने वाले, निपटाए जाने वाले और बकाया मामलों सम्बन्धी परिस्थिति कैसी है। जहां तक मामलों को निपटाने में विलम्ब प्रक्रिया विषयक विधियों को फलस्वरूप हुआ माना जा सकता है, सिविल प्रक्रिया संहिता तथा दण्ड संहिता को, विधि आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, संशोधित करने के उपाय किये जा रहे हैं। आशा की जाती है कि न्यायाधीश समिति भी जो इस समय उच्च न्यायालयों में बकाया की समस्या का अध्ययन कर रही है उच्च न्यायालयों की प्रक्रियाओं और पद्धतियों में ऐसी तब्दीलियों के सुझाव देगी जैसे मुकदमें का निपटारा जल्दी से जल्दी करने के लिए आवश्यक हों।

उत्तरी बिहार के चम्पारन जिले में नये उद्योग

4535. **श्री विभूति मिश्र :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बिहार में चम्पारन